राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 ई–मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)भर्ती विविध(2023)/अलेसे–III/220 दिनांकः–09-06-2025

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8788/2025 अजय कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

याचिकार्थियों द्वारा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 06.04.2025 में गृह जिलों से अन्य जिलों में पदस्थापन किये जाने के विरूद्व याचिका दायर की गयी थी। जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग का परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पर गृह जिला आवण्टन में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता नहीं दिये जाने को चुनौती दी गई है।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 में पदस्थापन के दौरान महिलाओं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए शेष कार्मिकों के समुचित प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापन किये गये हैं। चुरू जिले में कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के लगभग 79 पद रिक्त है जबकि 131 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चुरू जिले के लगभग 48 अभ्यर्थियों का जोधपुर में पदस्थापन किया गया है तथा लगभग 4 अभ्यर्थियों का फलौदी में पदस्थापन किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले में 328 रिक्त पदों की तुलना में केवल 197 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तथा फलौदी जिले में 62 रिक्त पदों की तुलना में केवल 32 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अतः प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यकुशल बनाये रखने हेतु एवं विभिन्न कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु जोधपुर तथा फलौदी जिला स्थित कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर कार्मिकों का पदस्थापन वांछित है एवं तदनरूप ही पदस्थापन किया गया है।

चुरू जिले के अतिरिक्त अन्य जिले यथा सीकर, झुन्झुनू, जयपुर, नागौर, डीडवाना–कुचामन, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटपूतली–बहरोड़ आदि में भी रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होने पर अन्य जिलों में रिक्त पदों पर प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजकार्य में कार्य कुशलता सुनिश्चित किए जाने हेतु पदस्थापन किया गया है।

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग का परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियो के मध्यनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी नियत की जा सकेंगी, परन्तु उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रशासनिक कार्य कुशलता को सुनिश्चित करने हेतु एवं अन्य जिलों में जहां रिक्त पदों की तुलना में कम अभ्यर्थी चयनित हुए है उन जिलों में राजकीय कार्यालयों को सुचारू व कुशल रूप से संचालित किये जाने हेतु राज्य हित में श्री विजेन्द्र कुमार व अन्य का पदस्थापन किया गया है।

अतः याचिकार्थी श्री विजेन्द्र कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)भर्ती विविध(2023)/अलेसे–III/220 दिनांकः–09-06-2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित याचिकार्थी सर्वश्री...।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)